न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

अज अदालत:– सुभाष हेमानी (RTS)

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रकरण संख्या :–80 / 2018

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
पटवार मण्डल बासेड

जोधाराम पुत्र हरजीराम गुर्जर
निवासी सिडियास

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 236 में तादाद किस्म गै.मु. मेंसे रकबा 0.0800 हेक्टर भूमि में बाडा बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब मय नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जोधाराम से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी [redacted] एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती । [redacted]